तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/7865/2001/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम हरिकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।
अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

आदेश

दिनांकः—12.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 19.10.2001 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जयपुर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोडाला तहसील जयपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 326/1 रकबा 10 बीघा राजेश्वर सिंह पुत्र संग्राम सिंह राजपूत की खातेदारी में दर्ज थी। सीलींग कानून के अंतर्गत उक्त भूमि अधिग्रहण की जा चुकी थी, किंतु राजेश्वरसिंह ने अधिग्रहण आदेश के पश्चात् बिना अधिकार के भूमि का बेचान अप्रार्थी हरिकिशन पाण्डे को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। यह कृत्य धारा 41 व 42 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के प्रतिकूल है, क्योंकि जिस समय बेचान किया गया, उस समय खातेदार को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। अवैध एवं बिना किसी अधिकार के बेचान के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में नामांतकरण संख्या 56 दिनांक 04.01.72 को नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर दिया गया। अतः उक्त नामांतकरण को निरस्त किया जावे। जिस पर अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.10.2001 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई ।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस में अभिकथन किया कि विवादित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/7865/2001/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम हरिकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी राजेश्वर सिंह राजपूत की खातेदारी में थी, सिलिंग कानून के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा दिनांक 30.10.71 को अधिग्रहण की जा चुकी थी। अधिग्रहण के पश्चात् उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार राजेश्वर सिंह को नहीं थे किंतु उसका बेचान अप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया गया, किया गया उक्त विक्रय राज0काश्त0अधि0 की धारा 41 व 42 के प्रतिकूल होने से अवैध है और अवैध विक्रय के आधार पर स्वीकार किया गया, नामांतकरण भी अवैध, अनुचित है जो प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामांतकरण निरस्त किया जावें। हमनें उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा संख्या 326/1 रकबा 10 बीघा ग्राम सोडाला तहसील जयपुर में है जो कि राजेश्वर सिंह पुत्र संग्राम सिंह की खातेदारी में दर्ज थी तथा सिलिंग कानून के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा दिनांक 30.10.71 को अधिग्रहण की जा चुकी थी एवं अधिग्रहण के पश्चात् उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी राजेश्वर सिंह को नहीं थे किन्तु उसका बेचान अप्रार्थी हरिकिशन पाण्डे को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया गया। चूंकि भूमि अधिग्रहण होने के पश्चात् राजेश्वर सिंह के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके थे तथा खातेदारी अधिकार समाप्त होने के उपरांत भी उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी को किया गया है जो कि अवैध है तथा अवैध बेचान के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 04.01.72 को नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया नामांतकरण संख्या 56 भी प्रारंभ से ही शून्यकारी है, उक्त समस्त कार्यवाही राज0काश्त0अधि0 की धारा 41 व 42 के विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से उक्त नामांतकरण निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अधिग्रहण की गई भूमि पर अप्रार्थी के हक में नामांतकरण स्वीकार किया जाना अथवा खातेदारी अधिकार प्रदान करना प्रतिबंधित है। ऐसी भूमि पर अप्रार्थी को कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया गया नामांतकरण संख्या 56 दिनांक 04.01.72 निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 19.10.2001 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम सोडाला तहसील जयपुर में अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया नामांतकरण संख्या 56 दिनांक 04.01.72 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त आराजी को अप्रार्थी की खातेदारी से कम कर पुनः राजकीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/7865/2001/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम हरिकिशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिवायचक के रूप में राजकीय खाते में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	